

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बडीसाडी
रामलाल बनाम रामलाल
 किस्म मुकद्दमा 53 वाड नं. 98 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>बडीसाडी</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा बुधारीका खेडा की खाता संख्या 97 में बसवटवाडा निम्नाहुमार लिखा जावे।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>बुधारीका खेडा की खाता संख्या 97 को विवादित आरामितादुमा विभागाद निम्नाहुमार लिखा जावे।</u></p> <p style="text-align: center;">P.T.O.</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	




 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
 RAS
 पीतासीम अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 कलेक्टर